



तत् त्वं पुनः बभूवुः
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय डिण्डौरी

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA DINDORI

Under Ministry of Education, GOVT. OF INDIA

जिला परिवहन कार्यालय के सामने, जबलपुर रोड, सुबखार

Infront of District Transport Office, Jabalpur Road, Subkhar

जिला-डिण्डौरी, म.प्र. पिन- 481880

District.- Dindori (M.P.) - 481880

Email: dindorikv@gmail.com, Website: <https://dindori.kvs.ac.in>

CBSE School Code: 54141, CBSE Affiliation No.:1000080

KV CODE-2066, STATION CODE-597, DISE CODE-23410723702



F.No.348/PM SHRI KV-Dindori/2025-26/155

Date: 02.07.2025

03

नीलामी/विक्रय सूचना संबंधी नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय डिण्डौरी में उपलब्ध सभी अनुपयोगी कंप्यूटर से सम्बंधित उपकरण "जो जहां है जैसी स्थिति में है" की नीलामी / बिक्री दिनांक **14/07/2025** को प्रातः **10:00 बजे** पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय डिण्डौरी के प्रांगण में उपस्थित होकर इच्छुक बोलीदाता बोली लगा सकते हैं।

नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं :-

1. बोली लगाने वाले व्यक्ति/ संस्था को बोली में सम्मिलित होने से पूर्व आधार कार्ड/ संस्था की प्रामाणिक दस्तावेज के साथ **रु.100/- (सौ रूपये मात्र)** धरोहर राशि के रूप में जमा करनी होगी।
2. उच्च बोली लगाने वाले व्यक्ति / संस्था जो भी नियमानुसार हो, को अनुपयोगी सामग्री बेची जायेगी।
3. सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति / संस्था के द्वारा पूर्ण राशि उसी दिन पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय डिण्डौरी के VVN खाते में जमा करनी होगी अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
4. सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/ संस्था के द्वारा राशि डीडी KENDRIYA VIDYALAYA DINDORI VVN A/C के पक्ष में बना हो अथवा NEFT/RTGS के करनी होगी। विद्यालय खाते का विवरण निम्नानुसार है :-

- a. बैंक का नाम UBI DINDORI
- b. बैंक खाते का नाम - KENDRIYA VIDYALAYA DINDORI VVN AC
- c. खाता संख्या - 594802010010660
- d. IFSC CODE - UBIN0559482

5. नगद राशि स्वीकार्य नहीं होगी।
6. अनुपयोगी वस्तुओं का निरीक्षण इच्छुक व्यक्ति/ संस्था द्वारा दिनांक 03/07/2025 से 13/07/2025 तक कार्यालयीन कार्य दिवस में समय प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक किया जा सकता है।

7. समस्त दस्तावेज जैसे आधार कार्ड की कॉपी, मोब न. पैन कार्ड की कॉपी, ई कचरा एकत्र करने के लिए सक्षम अधिकारी से जारी दर, उद्धरण और प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रति (राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एन.ओ.सी.) / पंजीकरण प्रमाण पत्र और कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज) की जाँच एवं अन्य औपचारिकताओं की कार्यवाही के उपरांत उच्च बोली देने वाले बोलीदाताओं को सामग्री सुपुर्द की जावेगी ।
8. सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति / संस्था के द्वारा दो दिवस के अन्दर सामग्री को अपने व्यक्तिगत खर्च पर हटाना होगा। अन्यथा राशि 100/- अतिरिक्त प्रतिदिन के हिसाब से दंड स्वरूप किराया देना होगा।
9. यदि सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति / संस्था के द्वारा उसी दिन या दो दिनों के अन्दर सामग्री नहीं उठाते हैं तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी तथा सामग्री को पुनः बेचने संबंधी कार्यवाही में होने वाले खर्च उच्च बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था से वसूल की जावेगी।
10. सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति / संस्था के एवं विद्यालय के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय प्राचार्य पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय डिण्डौरी के द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा।

वितरणार्थ:-

1. पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय डिण्डौरी (म.प्र.) का सूचना पटल ।
2. नगर पालिका डिण्डौरी का सूचना पटल।
3. माननीय चेयरमैन VMC, का सूचना पटल।
4. जिला पंचायत डिण्डौरी का सूचना पटल।
5. जनपद पंचायत डिण्डौरी का सूचना पटल।
6. विद्यालय वेबसाइट ।
7. जबलपुर क्षेत्र के सभी केन्द्रीय विद्यालयों को ई-मेल ।


(सुनील कुमार सोनी)

प्राचार्य
पीएम श्री केवि-डिण्डौरी